# ई-वीजा व्यवस्था (पर्यटक अनुकूल)

#### संदर्भ

- सितंबर 2014 में 46 देशों के साथ शुरू की गई ई-पर्यटक वीजा व्यवस्था, अब
  166 देशों के लिए लागू कर दी गई है।
- हाल ही में, सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में कई संशोधन कर इसे और उदार बनाते हुए पर्यटकों के लिए ओर अधिक अनुकूल बनाया है।
- पर्यटन मंत्रालय देश में वीजा व्यवस्था को आसान बनाने के लिए कुछ समय से गृह
  मंत्रालय के निकट सहयोग से काम कर रहा है।

# महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित है-

- ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा के तहत भारत में प्रवास की अविध बढ़ाने की शर्तों के अनुसार मल्टीपल एंट्री सिहत अधिकतम 1 वर्ष होगा।
- विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमित देने के मौजूदा प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है।

### ई-पर्यटन वीजा में बदलाव

- प्रत्येक यात्रा के दौरान ई-वीजा पर निरंतर प्रवास अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा।
- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सभी मामलों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

#### अन्य परिवर्तन

- ई-वीजा दो और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश वैध है, ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ाकर 28 कर दी गई है।
- सामान्य ई-पर्यटन वीजा या पर्यटन वीजा के तहत डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लेना-डेस्टिनेशन वेडिंग वीजा की कोई अलग श्रेणी नहीं।
- भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीजा को मेडिकल वीजा में परिवर्तित किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते है। इसमें चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों का ख्याल रखा जाएगा।
- कोरिया गणराज्य के नागरिकों को आगमन-पर-वीजा सुविधा प्रदान की गई।

#### ई-पर्यटक वीजा

• पर्यटन मंत्रालय वीजा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए समय-समय पर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) (जिसे ई-पर्यटक वीजा का नाम दिया गया है) से सक्षम आगमन पर पर्यटक वीजा के कार्यान्वयन के संबंध में पहल का समर्थन किया है और वह इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नागरिक को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

## ई-पर्यटक वीजा कैसे काम करता है?

- ई-पर्यटक वीजा संभावित आंगतुक को अपने देश से भारतीय वीजा के लिए बिना भारतीय दूतावास में जाए आवेदन करने और वीजा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
- एक बार मंजूरी होने पर आवेदक को भारत की यात्रा करने के लिए प्राधिकृत करने के संबंध में ईमेल प्राप्त होता है और वह इस प्राधिकरण के प्रिंट आउट के साथ भारत की यात्रा कर सकता है।
- भारत आगमन पर आगंतुक को वह प्राधिकार आव्रजन अधिकारियों को दिखाना होता
  है, जो देश में प्रवेश के लिए उस पर मुहर लगा देंगे।
- यह सुविधा उन विदेशियों को उपलबध है जिनका भारत में आने का मूल उद्देश्य मनोरंजन, पर्यटन करना, लघु अविध चिकित्सा उपचार, आकस्मिक व्यापार यात्रा आदि करना है और यह सुविधा अन्य उद्देश्यों / गतिविधियों के लिए मान्य नहीं है।
- अवधि- भारत में आगमन की तारीख से भारत में 30 दिन रहने के लिए मान्य होगा।